



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in,

website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:—एफ—7(76)/रालसा/संस्था—पी.एल.ए./2022/10235 दिनांक 07-05-2022

स्थायी लोक अदालत में सदस्यों या अन्य व्यक्ति की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) की धारा 22बी में वर्णित अनुसार आमजन से जुड़ी हुई सेवाओं

1. वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवाएं;
2. डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा;
3. किसी भी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति;
4. लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली;
5. अस्पताल या डिसपेन्सरी में सेवा;
6. बीमा सेवा;
7. बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं;
8. आवासीय सेवाएं;
9. लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस सेवा;
10. शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं;
11. आवास और भू सम्पदा सेवाएं;

जनोपयोगी सेवा (Public Utility Services) में आती है, जिनसे संबंधित 01 करोड़ रुपये तक की मालियत के प्रकरण सुनवाई हेतु प्रत्येक जिले में स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) गठित की गयी है। प्राधिकरण द्वारा मुख्यालय अजमेर, बालोतरा, बारां, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर महानगर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर महानगर, जोधपुर जिला, कोटा, करौली, मेडता सिटी, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाई माधोपुर व सीकर में धारा 22बी के तहत संस्थापित स्थायी लोक अदालतों में, नियुक्त सदस्य जिनका कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप पद रिक्त हैं अथवा माह दिसम्बर, 2022 तक रिक्त होने की संभावना है, में सदस्यों या अन्य व्यक्ति (Other person/member) की नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं—

1. जो निम्न अर्हता एवं पात्रता रखते हो—
 01. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि, एवं
 02. लोक उपयोगिता सेवाएं (Public Utility Services) में पर्याप्त अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, या
 03. सेवानिवृत्त अधिकारी जो जन उपयोगी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा जन उपयोगी सेवाओं के कार्य का अनुभव हो या,
 04. विधि का ज्ञान अथवा विधि की शिक्षा परन्तु जन उपयोगी सेवा का अनुभव हो,

2. अभ्यर्थी की नियुक्ति के समय उम्र 63 वर्ष से अधिक की नहीं हो,
3. उक्त नियुक्ति प्रारंभ में 01 वर्ष के लिए की जाएगी जिसे सेवाएं सन्तोषप्रद पाये जाने पर प्रारंभिक नियुक्ति के 01 वर्ष को सम्मिलित करते हुए 02 वर्ष तक या आवेदक की आयु 65 वर्ष पूरी होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकेगा।
4. स्थाई लोक अदालत के सदस्य को मानदेय व अन्य सुविधाएं Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons Rules, 2003) के अनुरूप देय होंगी
5. उक्त चयन की प्रक्रिया प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के पश्चात स्कीनिंग या साक्षात्कार अथवा दोनों द्वारा पूर्ण की जावेगी। साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का टीए/डीए देय नहीं होगा। चयन का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन होगा।
6. आवेदक को स्वयं यह घोषणापत्र देना होगा कि उसका किसी भी जन उपयोगी सेवाओं में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य प्रकार का हित नहीं है।
7. पात्रता रखने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर के कार्यालय में डाक या व्यक्तिशः द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट www.rlsa.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजात की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जावे
9. नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी।
10. उक्त सदस्य या अन्य व्यक्ति (Members/other person) किसी प्रकार का नियोजन नहीं है और नियोजन का कोई अधिकार सृजित नहीं करता है, बल्कि स्वसेवा है, जिस कार्य निष्पादन के लिए निर्धारित मानदेय व यात्रा भत्ता देय है।
11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक **31.5.2022** है। इस तिथि को कार्यालय समय पश्चात् (सायं 05.00 बजे के पश्चात्) प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. एक आवेदन पत्र के जरिये केवल एक ही स्थान के सदस्य/अन्य व्यक्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है।

ह0

सदस्य सचिव



आवेदन पत्र

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 बी के तहत संस्थापित स्थाई लोक अदालत में नियुक्त सदस्य जिनका कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप पद रिक्त हुए हैं, पर सदस्यों या अन्य व्यक्तियों (Members/other person) की नियुक्ति हेतु।

जिले का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है.....
(केवल एक जिला ही अंकित किया जावे)

1. आवेदक का नाम
हिन्दी में
अंग्रेजी में
2. आवेदक के पिता/पति का नाम
3. जन्म तिथि (शब्दों व अंकों में)
.....
4. गृह जिला
5. स्थायी निवास का पता
.....
(टेलीफोन नम्बर)
6. वर्तमान पता
.....
(टेलीफोन नम्बर).....
7. मोबाईल नम्बर
8. ई-मेल एड्रेस
9. कार्यालय का पता

पासपोर्ट साइज
का नवीनतम
स्व-हस्ताक्षरित
फोटो चिपकाये

10. शैक्षणिक योग्यतायें (सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित) :-

क्र.सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

11. सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख

12. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए)

...

13. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्ति आवेदक के लिए)

14. सेवानिवृत्ति की दिनांक
(सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)

15. बार काउन्सिल में पंजीयन संख्या (विधि व्यवसायी के लिए)

16. विधिक सेवाओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से जनोपयोगी सेवा लोक अदालत से संबंधित अनुभव एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण-

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

17. वकालत का अनुभव- (जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित कम से कम 05 निर्णय की प्रति संलग्न करें)

18. अन्य कार्य/व्यवसाय का अनुभव.....

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

19. वर्तमान कार्य / व्यवसाय (Occupation) का विवरण.....
20. वर्तमान वार्षिक आय
(अंतिम आयकर विवरणिका संलग्न करे)
21. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति / पत्नी है?
हाँ / नहीं
22. यदि आवेदन के विरुद्ध सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान कोई भी विभागीय जांच या प्रारम्भिक जांच की गई हो या लम्बित हो या दण्डित किया गया हो तो उसका विवरण दें। (सेवारत / सेवानिवृत्त के लिए)
23. यदि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोजन किया गया हो तो उसका विवरण दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं पुत्र / पत्नी घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरा जन उपयोगी सेवा में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य हित नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

नोट : आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति आदेश की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करे। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जावे।